



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218719
CG-DL-E-17032020-218719

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 974]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941

No. 974]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

का.आ. 1081(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, ऑफिस ऑफ़ थे डिप्टी कमिश्नर, दर्रांग, प ओ. मंगलदाई (NH52) के कि.मी 30 से 42 असम राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH52 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	एडिशनल डिप्टी कमिश्नर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH52 के कि.मी. 30 से 42 तक	असम	दर्रांग	मंगलदोई (Pt)	<table><tr><td>1</td><td>सरु थेकेराबारी</td></tr><tr><td>2</td><td>घाटुवापारा</td></tr><tr><td>3</td><td>बैनाओजापारा</td></tr><tr><td>4</td><td>चेंगेलियापारा</td></tr><tr><td>5</td><td>वर कुमारपारा</td></tr><tr><td>6</td><td>बन्दिया गांव</td></tr><tr><td>7</td><td>मोवामारी</td></tr><tr><td>8</td><td>गेलाईदींगी</td></tr><tr><td>9</td><td>ओंदोलझार</td></tr><tr><td>10</td><td>बाघपारी</td></tr><tr><td>11</td><td>गेरिमारी</td></tr><tr><td>12</td><td>कमरपारा</td></tr></table>	1	सरु थेकेराबारी	2	घाटुवापारा	3	बैनाओजापारा	4	चेंगेलियापारा	5	वर कुमारपारा	6	बन्दिया गांव	7	मोवामारी	8	गेलाईदींगी	9	ओंदोलझार	10	बाघपारी	11	गेरिमारी	12	कमरपारा
1	सरु थेकेराबारी																													
2	घाटुवापारा																													
3	बैनाओजापारा																													
4	चेंगेलियापारा																													
5	वर कुमारपारा																													
6	बन्दिया गांव																													
7	मोवामारी																													
8	गेलाईदींगी																													
9	ओंदोलझार																													
10	बाघपारी																													
11	गेरिमारी																													
12	कमरपारा																													

[फा. सं. NH-12012/01/2020/AS/Zone-V]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2020

S.O. 1081(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 30 to 42 of Office of the Deputy Commissioner , Darrang , P. O. Mangaldai (NH52) in the State of ASSAM.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH52 in the State of ASSAM

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Additional Deputy Commissioner	30KM To 42KM	ASSAM	DARRANG	Mangaldoi (Pt)	1	Saru Thekerabari
						2	Ghatuapara
						3	Boinaojapara
						4	Chengeliapara
						5	Bar Kumarpara
						6	Bandia Gaon
						7	Mowamari
						8	Gelaidingi
						9	Ondolajhar
						10	Baghpari
						11	Gerimari
						12	Kamarpara

[F. No. NH-12012/01/2020/AS/Zone-V]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.